कस्टम मिलिंग घोटाले में अनिल व अनवर की 18 तक रिमांड बढ़ी

रायपुर@पत्रिका. कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर की न्यायिक रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इसकी अवधि पूरी होने पर 18 अगस्त को प्रकरण की सुनवाई होगी। सोमवार को ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश की अदालत में कस्टम मिलिंग घोटाले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश को बताया कि 140 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग घोटाले में राइस मिलरों से 20 रुपए प्रति क्विटंल कमीशन की वसूली होती थी। इस प्रकरण में मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी, राइस मिल एसोसिएशन के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ 3500 पेज का चालान पेश किया जा चुका है। प्रकरण की जांच के दौरान अनिल टूटेजा और अनवर ढेबर के घोटाले में शामिल होने के इनपुट मिले हैं।

05/08/2025 | Raipur City | Page : 5
Source : https://epaper.patrika.com/